

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की
अन्य शर्तों) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें)
संशोधन विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन ।
3. नई धारा 3—क का अन्तःस्थापन ।
4. अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा
की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2015 है।

धारा 3 का का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

(2006 का 3)

"(1) अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किया जाएंगे:

परन्तु अनुसूची की क्रम संख्या: 1, 2, 7, 8, 9 और 32 में वर्णित कर्मचारियों के प्रवर्ग, जिन्हें शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्चतर वेतनमान दे दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना संख्या: गृह-बी (ई) 2-7/2009 तारीख 24-09-2012 द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होंगे तथापि, उपरोक्त वर्णित प्रवर्गों के सिवाय, कर्मचारियों के वे प्रवर्ग, जिन्हें उच्चतर वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है, उक्त अधिसूचना के अधीन 1-10-2012 के बजाय 1-4-2003 से

वेतनमान की प्रारम्भिक दर पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के हकदार होंगे।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 3—क का
अन्तःस्थापन।

“3—क. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या प्रतिस्थापित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।”।

4. मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात्:—

अनुसूची का
प्रतिस्थापन।

“ अनुसूची

[धारा 2(ड) और 3 (1) देखें]

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को 1-4-2003 से अनुज्ञेय वेतनमान

मास्टर स्केल: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-
5000-160-5800-200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500
-400-15900-450-18600-500-23600

| क्रम संख्या | प्रवर्ग | वर्गीकरण | 1-4-2003 से वेतनमान |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(अधीक्षक ग्रेड-I) | वर्ग-I राजपत्रित | 7880-220-8100-275-10300-340-11660 |
| 2. | सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के न्यायालय का वरिष्ठ श्रेण्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-II) | वर्ग-II अराजपत्रित | 7000-220-8100-275-10300-340-10980 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------|--|
| 3. | सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय का श्रेष्ठेदार (अधीक्षक ग्रेड-II) | वर्ग-II अराजपत्रित | 6400-200-7000-220-8100-275 -10300-340-10640 |
| 4. | जिला न्यायाधीश का कार्यकारी सहायक(निजी सहायक) | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 5. | आशुलिपिक ग्रेड-I (वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) | वर्ग- III अराजपत्रित | 5800-200-7000-220-8100-275- 9200 |
| 6. | आशुलिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक) | -यथोपरि- | 4400-150-5000-160-5800-200- 7000 |
| 7. | आशुलिपिक ग्रेड-III (आशुटकक) | -यथोपरि- | 4020-120-4260-140-4400-150- 5000-160-5800-200-6200 |
| 8. | रीडर ग्रेड-I | वर्ग- II अराजपत्रित | 7000-220-8100-275-10300-340- 10980 |
| 9. | रीडर ग्रेड-II | -यथोपरि- | 6400-200-7000-220-8100-275- 10300-340-10640 |
| 10. | रीडर ग्रेड-III | वर्ग-III अराजपत्रित | 5800-200-7000-220-8100-275- 9200 |
| 11. | अंग्रेजी लिपिक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 12. | सिविल नाजिर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 13. | अनुवादक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 14. | अभिलेखपाल (रिकार्ड कीपर) | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 15. | वरिष्ठ सहायक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 16. | छुट्टी रिजर्व लिपिक / लिपिक | -यथोपरि- | 3120-100-3220-110-3660-120- 4260-140-4400-150-5000-160- 5160 3220/- रूपए से प्रारम्भ। |
| 17. | अहलमद (रिकार्ड कीपर) | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 18. | सहायक अंग्रेजी लिपिक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 19. | अहलमद / किमिनल अहलमद | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 20. | कोर्ट नाजिर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 21. | नकलनवीस (कॉपिस्ट) | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 22. | नायब नाजिर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|--|
| 23. | लिपिक— एवं— टंकक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 24. | नाजिर | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 25. | समरी लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 26. | वेतन पाने वाला अभ्यर्थी (पेड कैन्डिडेट) | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 27. | संरक्षक लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 28. | निष्पादन लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 29. | बेलिफ | —यथोपरि— | 3120—100—3220—110—3660—120— 4260—140—4400—150—5000—160— 5160 |
| 30. | चालक | —यथोपरि— | 3330—110—3660—120—4260—140— 4400—150—5000—160—5800—200— 6200 |
| 31. | दफ्तरी | वर्ग—IV अराजपत्रित | 2820—100—3220—110—3660—120— 4260—140—4400 |
| 32. | आदेशिका तामीलकर्ता | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 33. | अर्दली | —यथोपरि— | 2520—100—3220—110—3660—120— 4140 2620 /— रूप से प्रारम्भ । |
| 34. | चपरासी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 35. | माली | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 36. | चौकीदार | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 37. | सफाई कर्मचारी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 38. | चौकीदार—एवं सफाई कर्मचारी | —यथोपरि— | —यथोपरि— ।” । |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अराजपत्रित न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ ने यह अनुतोष पाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 10740/2011 दायर की थी कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग अर्थात् शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय के तारीख 03-01-2014 के निर्णय द्वारा संघ के पक्ष में विनिश्चित की गई थी। इस निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय ने, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 की धारा 3 को उस विस्तार तक कि यह उच्चतम न्यायालय द्वारा शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए दिए गए निदेशों के विरुद्ध है, अभिखण्डित और अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने प्रथम अप्रैल, 2003 को और से शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी निदेश दिए हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के तारीख 3-01-2014 को सी0डब्ल्यू0 पी0 नम्बर 10740/2011 नामतः एच.पी.नॉन गजेटिड ज्यूडिशियल इम्पलाईज वैंल्फेयर एसोसिएशन वर्सज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अनदर में दिए गए निदेशों की अनुपालना के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 को संशोधित करने और उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची को प्रतिस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के नीचे कर्मचारियों के उन प्रवर्गों, जिनके लिए शेट्टी आयोग ने उच्चतर वेतनमान की सिफारिश नहीं की है, को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुज्ञात करने के लिए परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त, जब कभी अपेक्षित हो, अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित और प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक को गए हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख ,2015

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 के अधिनियमित किए जाने के परिणामस्वरूप, 1-04-2003 से 31-03-2014 तक बकायों को छोड़कर प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रूपए की वित्तीय विवक्षा होगी। बकायों सहित कुल वित्तीय विवक्षाएं लगभग 9,43,01,014 /-रूपए होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित या प्रतिस्थापित करने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या: गृह-बी (ई) 3-7/2009 एल.)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधानसभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख , 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

3. वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें :- (1) वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश अथवा निर्णय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किया जाएगा।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के भत्तों की दरें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

“अनुसूची
[धारा 2 (ड) और 3 (1) देखें]

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय वेतनमान

मास्टरस्केल: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-
200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-
18600-500-23600

| क्र. सं. | प्रवर्ग | वर्गीकरण | वेतनमान |
|----------|--------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अधीक्षक ग्रेड-। | वर्ग-1 राजपत्रित | 7220-220-8100-275-10300-340-11660 |
| 2. | अधीक्षक ग्रेड-।। | वर्ग-।। अराजपत्रित | 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 |
| 3. | निजी सहायक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 4. | रीडर | वर्ग-।।। | 5800-200-7000-220-8100-275-9200 |
| 5. | अंग्रेजी लिपिक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 6. | सिविल नाजिर | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 7. | अनुवादक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 8. | अभिलेखपाल (रिकार्ड कीपर) | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 9. | बरिष्ठ सहायक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 10. | बरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक | -यथोपरि- | -यथोपरि- |
| 11. | कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक | -यथोपरि- | 4400-150-5000-160-5800-200-7000 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 12. | आशुटंकक | —यथोपरि— | 3330—110—3660—120—4260—140—4400—150—5000 —160—5800—200—6200 |
| 13. | छुट्टी रिजर्व लिपिक / लिपिक | —यथोपरि— | 3220 / —रुपये से आरम्भ 3120—100—3220—110—3660—120—4260—140—4400 —150—5000—160—5160 |
| 14. | अहलमद (रिकार्ड कीपर) | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 15. | सहायक अंग्रेजी लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 16. | अहलमद / सी आर अहलमद | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 17. | कोर्ट नाजिर | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 18. | नकलनवीस (कॉपिस्ट) | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 19. | नायव नाजिर | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 20. | लिपिक एवं टंकक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 21. | नाजिर | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 22. | समरी लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 23. | वेतन पाने वाला अभ्यर्थी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 24. | संरक्षक लिपिक | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 25. | निष्पादन लिपिक | वर्ग— III | 3120—100—3220—110—3660—120—4260—140—4400 —150—5000—160—5160 |
| 26. | बेलिफ | —यथोपरि— | 3120—100—3220—110—3660—120—4260—140—4400 —150—5000—160—5160 |
| 27. | चालक | —यथोपरि— | 3330—110—3660—120—4260—140—4400—150—5000 —160—5800—200—6200 |
| 28. | दपतरी | वर्ग—IV | 2820—100—3220—110—3660—120—4260—140—4400 |
| 29. | आदेशिका तामीलकर्ता | —यथोपरि— | 2720—100—3220—110—3660—120—4260 |
| 30. | अर्दली | —यथोपरि— | 2620 / — रुपये से आरम्भ 2520—100—3220—110—3660—120—4140 |
| 31. | चपडासी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 32. | माली | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 33. | चौकीदार | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 34. | सफाई कर्मचारी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |
| 35. | चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी | —यथोपरि— | —यथोपरि— |

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2015

**THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES
(PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES
(PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2015**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Insertion of new section 3-A.
4. Substitution of SCHEDULE.

**THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES
(PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Services) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

- Short title. **1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Act, 2015.
- Amendment of section 3. **2.** In section 3 of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The Subordinate Courts' employees shall be paid the pay scales, as specified in the Schedule:

Provided that the categories of employees mentioned at Sr. Nos.1, 2, 7, 8, 9 and 32 of the Schedule, who have been given higher pay scale as per the recommendations of Shetty Commission, shall not be entitled to additional increment granted by the State Government vide Notification No. Home-B (E) 2-7/2009-HC dated 24-09-2012, however, other categories of employees, except above mentioned categories, who have not been granted higher pay scale, shall be entitled to one additional increment at the initial rate of the pay scale with effect from 1-4-2003 instead of 1.10.2012 under the said notification .".

Insertion of new section 3-A. **3.** After section 3 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"3-A. Power to amend Schedule.- the State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly."

Substitution of SCHEDULE. **4.** For the existing SCHEDULE appended to the principal Act, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE
[See sections 2(e) and 3(1)]

Pay Scales admissible to Subordinate Courts' Employees w.e.f.1-4-2003

Master Scale: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.

| Sr. No. | Category | Classification | Pay Scale w. e. f. 1-4-2003 |
|---------|--|-----------------------|---|
| 1. | Chief Administrative Officer (Superintendent Grade-I) | Class-I Gazetted | 7880-220-8100-275-10300-340-11660 |
| 2. | Sr. Sheristedar of the Court of civil Judge (Sr. Division) (Superintendent Grade-II) | Class-II Non-Gazetted | 7000-220-8100-275-10300-340-10980 |
| 3. | Sheristedar of the Court of Civil Judge (Jr. Divn.) (Superintendent Grade-II) | ---do-- | 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640. |
| 4. | Executive Assistant to Distt. Judge (Personal Assistant) | --do-- | -do- |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|--|
| 5. | Stenographer Gr.I (Sr. Scale Steno) | Class-III Non-Gazetted | 5800-200-7000-220-8100-275-9200. |
| 6. | Stenographer Gr.II (Jr. Scale Stenographer) | -do- | 4400-150-5000-160-5800-200-7000 |
| 7. | Stenographer Gr.III (Steno-Typist) | -do- | 4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200. |
| 8. | Reader Gr.I | Class-II Non-Gazetted | 7000-220-8100-275-10300-340-10980 |
| 9. | Reader Gr. II | -do- | 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640. |
| 10. | Reader Gr.III | Class-III Non-Gazetted | 5800-200-7000-220-8100-275-9200. |
| 11. | English Clerk | Class-III Non-Gazetted | 5800-200-7000-220-8100-275-9200. |
| 12. | Civil Nazir | --do-- | --do-- |
| 13. | Translator | -do- | --do-- |
| 14. | Record Keeper | -do- | --do-- |
| 15. | Senior Assistant | --do-- | --do-- |
| 16. | Leave Reserve Clerk/Clerks | --do-- | 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 with start of Rs. 3220/-. |
| 17. | Ahlmad (Record Keeper) | -do- | -do- |
| 18. | Assistant English Clerk | -do- | -do- |
| 19. | Ahlmad/Cr. Ahlmad | -do- | -do- |
| 20. | Court Nazir | -do- | -do- |
| 21. | Copyist | -do- | -do- |

| | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------------|---|
| 22. | Naib Nazir | Class-III Non-Gazetted | 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140- 4400-150-5000-160-5160 with start of Rs. 3220/-. |
| 23. | Clerk-cum-Typist | -do- | -do- |
| 24. | Nazir | -do- | -do- |
| 25. | Summary Clerk | -do- | -do- |
| 26. | Paid Candidate | -do- | -do- |
| 27. | Guardian Clerk | -do- | -do- |
| 28. | Execution Clerk | -do- | -do- |
| 29. | Bailiff | -do- | 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140- 4400-150-5000-160-5160 |
| 30. | Driver | -do- | 3330-110-3660-120-4260-140-4400-150- 5000-160-5800-200-6200. |
| 31. | Daftri | Class-IV Non-Gazetted | 2820-100-3220-110-3660-120-4260-140- 4400. |
| 32. | Process Server | -do- | -do- |
| 33. | Orderly | -do- | 2520-100-3220-110-3660-120-4140 with start of Rs. 2620/- |
| 34. | Peon | -do- | -do- |
| 35. | Mali | -do- | -do- |
| 36. | Chowkidar | -do- | -do- |
| 37. | Safai Karamchari | -do- | -do- |
| 38. | Chowkidar-cum- Safai Karamchari | -do- | -do-".". |

...

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Non-Gazetted Judicial Employees Welfare Association had filed CWP No. 10740/2011 in the High Court of Himachal Pradesh seeking relief that the recommendations of the First National Judicial Pay Commission i.e. Shetty Pay Commission be implemented. The said Petition was decided by the Hon'ble High Court vide its judgement dated 3-1-2014 in favour of the Association. Vide this judgement, the Hon'ble Court quashed and set aside section 3 of Himachal Pradesh, Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowance and other conditions of Service) Act, 2005 to the extent that it overrules the directions of the Supreme Court to implement the Shetty Commission recommendations. The High court also directed to implement the recommendations of the Shetty Commission on and w.e.f. 1st April, 2003.

In order to comply with the directions of the Hon'ble High Court dated 3-1-2014 delivered in CWP No. 10740/2011 titled as H.P. Non-Gazetted Judicial Employee Welfare Association vrs. State of Himachal Pradesh & another, it has been decided to amend section 3 of the Act *ibid* and to substitute the Schedule appended to the said Act. Further, a proviso is also proposed to be inserted below sub-section (I) of section-3 of the Act to allow one additional increment to the categories of employees to whom the Shetty Commission has not recommended higher pay scale. Further, it has also been decided to empower the State Government to amend or substitute the Schedule, by notification, as and when required. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(VIRBHADRA SINGH)

Chief Minister

Place: Shimla

The.....,2015.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 4 of this Bill, if enacted, shall result in the financial implication of Rs. one crore per annum approximately other than arrears w.e.f. 01.04.2003 to 31.03.2014. Total financial implications including arrears will be approximately Rs.9,43,01,014/-.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISTION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to amend or substitute the Schedule by notification. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No: Home-B (E) 3-7/2009-L)

The Governor of the Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Bill, 2015, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES
(PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2015**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees(Pay, Allowances and other Conditions of Services) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DEVENDER KUMAR SHARMA)
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The....., 2015

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES (PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 2005 (ACT NO. 3 OF 2006) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS BILL.

Section 3. Pay, allowances and other conditions of service:- (I) Notwithstanding anything contained in any rules regulating the pay, allowances and other conditions of service or any judicial order or judgment passed by any competent court, the Subordinate Courts' employees shall be paid pay scales, as specified in the Schedule.

(2) the rates of allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees shall be such as may be prescribed.

SCHEDULE

[See sections 2(e) and 3(1)]

Pay Scales admissible to Subordinate Courts' Employees

Master Scale: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.

| Sr. No. | Category | Classification | Pay Scale |
|---------|---------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Superintendent Grade-I | Class-I Gazetted | 7220-220-8100-275-10300-340-11660. |
| 2. | Superintendent Grade-II | Class-II Non-Gazetted | 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640. |
| 3. | Personal Assistant | --do-- | -do- |
| 4. | Reader | Class-III | 5800-200-7000-220-8100-275-9200. |
| 5. | English Clerk | -do- | -do- |
| 6. | Civil Nazir | --do-- | --do-- |
| 7. | Translator | -do- | --do-- |
| 8. | Record Keeper | -do- | --do-- |
| 9. | Senior Assistant | --do-- | --do-- |
| 10. | Senior Scale Stenographer | --do-- | --do-- |
| 11. | Junior Scale Stenographer | -do- | 4400-150-5000-160-5800-200-7000 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|----------|--|
| 12. | Steno-Typist | -do- | 3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200. |
| 13. | Leave Reserve Clerk/Clerks | --do-- | 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 with start of Rs. 3220/-. |
| 14. | Ahlmad (Record Keeper) | -do- | -do- |
| 15. | Assistant English Clerk | -do- | -do- |
| 16. | Ahlmad/Cr. Ahlmad | -do- | -do- |
| 17. | Court Nazir | -do- | -do- |
| 18. | Copyist | -do- | -do- |
| 19. | Naib Nazir | -do- | -do- |
| 20. | Clerk-cum-Typist | -do- | -do- |
| 21. | Nazir | -do- | -do- |
| 22. | Summary Clerk | -do- | -do- |
| 23. | Paid Candidate | -do- | -do- |
| 24. | Guardian Clerk | -do- | -do- |
| 25. | Execution Clerk | -do- | -do- |
| 26. | Bailiff | -do- | 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 |
| 27. | Driver | -do- | 3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200. |
| 28. | Daftri | Class-IV | 2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400. |
| 29. | Process Server | Class-IV | 2720-100-3220-110-3660-120-4260 |
| 30. | Orderly | Class-IV | 2520-100-3220-110-3660-120-4140 with start of Rs. 2620/- |
| 31. | Peon | Class-IV | -do- |
| 32. | Mali | Class-IV | -do- |
| 33. | Chowkidar | Class-IV | -do- |
| 34. | Safai Karamchari | Class-IV | -do- |
| 35. | Chowkidar-cum-Safai Karamchari | Class-IV | -do- |

